

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग


कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4 / अ0प्र0-2-04 / 2025

75

/पटना, दिनांक:- 29.1.26

श्रीमती चंदा कुमारी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को बिहार सेवा संहिता के नियम, 220 (ख) के प्रावधानानुसार द्वितीय संतानोत्पत्ति के प्रयोजनार्थ पूर्व में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-66 सहपठित ज्ञापांक-1077 दिनांक-28.01.2026 के द्वारा दिनांक-01.04.2025 से 30.06.2025 तक कुल 91 दिनों के मातृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी थी। पुनः कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक-125 अनु0 दिनांक-19.01.2026 एवं श्रीमती चंदा कुमारी, कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक- 01.07.2025 से 27.09.2025 तक के लिए कुल 89 दिनों का मातृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।


(निर्मल कुमारी)


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4 / अ0प्र0-2-04 / 2025

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4 / अ0प्र0-2-04 / 2025

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि श्रीमती चंदा कुमारी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा का स्वीकृत मातृत्व अवकाश अवधि को उनके सेवा पुस्त में निश्चित रूप से अंकित करते हुए नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4 / अ0प्र0-2-04 / 2025

1195

/पटना, दिनांक:- 29.1.26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-04, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा / श्रीमती चंदा कुमारी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।
-11